<u>न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।</u>

मूलवाद सं0–05/2013

श्रीमती सावित्री देवी बनाम बाबू सिंह आदि

<u>02.03.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को संशोधन प्रार्थनापत्र 36क1 समर्थित शपथ पत्र 37ग2 पर सुना गया।

आवेदिका/वादिनी की ओर से संशोधन प्रार्थनापत्र 36क1 मय शपथ पत्र 37ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी साक्ष्य हेतु अपने वकील साहब के कार्यालय में आयी। साक्ष्य के लिये पत्रावली का अवलोकन किया कि वादपत्र की धारा 8 में वादिनी का हिस्सा 1/4 अंकित है। चूंकि बाबू सिंह की मृत्यु दौरान मुकदमा हो जाने के कारण 1/1 व 1/2 ने प्राप्त किया। इस प्रकार से वर्तमान में वादिनी का प्रश्नगत भूमि में हिस्सा 1/3 है व वादपत्र में लिपिकीय त्रुटि के कारण कुछ तथ्य गलत अंकित हो गये हैं तथा कुछ लिखने से रह गये हैं। उक्त तथ्य का संशोधन वादपत्र में किया जाना वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये अपरिहार्य है। अतः प्रार्थना पत्र के पैरा 1 लगायत 13 के अनुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 38ग2 के माध्यम से आपत्ति की गयी है कि वादिनी का संशोधन प्रार्थना पत्र विधि एवं तथ्यों के विपरीत है, पोषणीय नहीं है, खारिज होने योग्य है। संशोधन प्रार्थनापत्र के कथन दावा दायर करने के पूर्व से ही विद्यमान थे जिसकी बखूबी जानकारी वादिनी को रही है परन्तु वादिनी ने जानबूझकर उन तथ्यों का समावेश नहीं किया था। उपरोक्त वाद में साक्ष्य वादिनी प्रारम्भ हो चुका है इसलिये संशोधन प्रार्थना पत्र अतः खारिज होने योग्य है। संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वाद की प्रकृति व वाद कारण में अन्तर आ जायेगा इसलिये प्रार्थना पत्र अतः

खारिज होने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु दौरान वाद हो गयी है जिससे विवादित संपत्ति में वादिनी के अंश में परिवर्तन हो गया है। तद्नुसार वादपत्र में संशोधन अपरिहार्य है। जहां तक प्रतिवादी की आपत्ति का प्रश्न है उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः संशोधन प्रार्थना पत्र 36क1, हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

संशोधन प्रार्थनापत्र 36क1, 100/—रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी अविलम्ब संशोधन करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबदावा दिनांक 26.04.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी।